न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 857/दावा/2018
दायरा 28/08/2018

उनवान

1. छीतरलाल पुत्र कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर
2. धनराज पुत्र कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर
3. रूकमणी बाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर
4. संतोष पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर
5. गायत्रीबाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर
6. बतोलबाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर
7. सीमाबाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर
8. कैलाशबाई बेवा कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तह0 खानपुर

—— वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर
2. जिला कलक्टर महोदय, झालावाड़ जिला झालावाड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– 1. श्री चतुर्भुज चौधरी एडवोकेट – वादी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 03-01-2020

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम डूण्डा की जमाबंदी सं0 2070–73 की जमाबंदी खतौनी सं0 170 की ख0नं0 120 की 19.14 बीघा, ख0नं0 257 की 6.01 बीघा, ख0नं0 610 की 0.02 बीघा कुल 3 किता की 25.17 बीघा आराजी वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। ग्राम डोण्डा की सं0 2011–2014 की जमाबंदी में खाता सं0 84 पर वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा भैरू पुत्र लक्ष्मण के माफी चौकीदारी में दर्ज हुई थी। सेटलमेंट से पूर्व इस आराजी के ख0नं0 132 रकबा 20.05 बीघा, ख0नं0 23 रकबा 6.01 बीघा, ख0नं0 751/428 की 0.04 बीघा थे। यह आराजी सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के दादा भैरू पुत्र लक्ष्मण जाति नायक के माफी चौकीदारी में दर्ज हुई थी तब से वादीगण के दादा जीवित रहे जब तक उनका कब्जा रहा उनकी मृत्यु के बाद में वादीगण के पिता कालूलाल पुत्र भैरू का कब्जा रहा है और वादीगण के पिता कालूलाल की मृत्यु के बाद से वादीगण का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार सं0 2011 से वादग्रस्त आराजी निरंतर वादीगण के कब्जे काश्त में है, परंतु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा व सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया। ऐसा करके राजस्व कर्मचारियों ने भारी भूल की है। इस आराजी पर वादीगण का निरंतर कब्जा होने से

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। वादीगण द्वारा दिनांक 26.06.2018 को न्याय आपके द्वार शिविर गोलाना में गैरखातेदार से खातेदारी दिये जाने हेतू निवेदन करने एवं संबधित अधिकारी द्वारा इसके लिये सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री सादर फरमायी जावे कि ग्राम डूण्डा की खतौनी सं0 170 की 3 किता की 25.17 बीघा आराजी पर वादीगण को खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहते हैं, जबकि नकल जमाबंदी ग्राम डूण्डा सं0 2011–14 की खेवट सं0 84 पर वादग्रस्त आराजी माफी संसरीगीरी व कब्जा भैरू पुत्र लक्ष्मण जाति नायक के नाम जर्ये इंतकाल नं0 529 से धूलीलाल चौकीदार के फौत हो जाने से बहुक्म तहसील दिनांक 31.10.54 से 19.8.55 ताहयात भैरू माफी बहाल है। बाद मृत्यु खालसा की जावेगी के नोट सहित किता 3 खता 26.10 बीघा भूमि अस्थाई रूप से अंकित है। यह इन्द्राज जमाबंदी चौसाला ग्राम डूण्डा सं0 2012–15 एवं सं0 2019–22, 2023–47 ग्राम डूण्डा की कम सं0 106 पर भैरू वल्द लक्ष्मण कौम नायक सा0 देह गैरखातेदार के नाम किता 3 रकबा 25.17 बीघा अंकित है। इस प्रकार यह भूमि हाल वादीगण के दादा भैरू नायक को बहैसियत अस्थाई लीज पर ताहयात (मृत्यु होने तक) सशर्त दी गई थी एवं उक्त चौकीदार की बाद मृत्यु यह माफी भूमि खालसा(सरकारी राजगामी) की जावेगी। चूँकि वादीगण चौकीदार भैरू नायक के पोते हैं और माफी चौकीदार भैरू नायक के फौत होते ही यह भूमि खालसा(सरकारी राजगामी) होने का निर्णय कदीमी है और आज तक निष्प्रभावी नहीं हुआ है। इस प्रकार वादी का वाद तथ्यों से परे एवं सारहीन होने से निरस्त होने एवं आराजी सिवायचक किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की सहमति से वाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्धान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा भैरू को माफी चाकरी के ऐवज में आवंटित हुई थी किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने इस आराजी को खातेदारी में दर्ज न कर गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया है जो गैर कानूनी है। इस आराजी पर हमारे दादा के जमाने अर्थात सं0 2011 से हमारे परिवार का कब्जा चला आ रहा है। ऐसे में हम इस आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होने से हमारा दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी 25.17 बीघा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा भैरू पुत्र लक्ष्मण नायक को सांसरीगिरी के ऐवज में बहैसियत अस्थाई लीज पर ताहयात अर्थात मृत्यु होने तक सशर्त दी गयी थी और चौकदार की मृत्यु के बाद यह माफी भूमि खालसा(सरकारी राजगामी) की जावेगी। चूँकि वादीगण चौकीदार भैरू के पौते हैं। ऐसे में वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने योग्य है और वादी का वाद खारिज होने योग्य होने से खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम डूण्डा की जमाबन्दी स0 2011–14, 2012–15, 2019–22, 2013–26 में ख.न 132 रकबा 20.05 बीघा, ख0न0 230 रकबा 6.01 बीघा, ख0न0 751/428 की 0.04 बीघा कुल 3 किता की 26.10 बीघा आराजी माफी सांसरी गिरी बकब्जा भैरू बेटा लछमन का जात नायक बास गांव के खाते दर्ज है। इन सभी जमाबंदीयात में यह नोट अंकित है कि दि0 5.2.9 को बिला बराड बनाम लछमन के बहाल हुई है। दि0 13.7.45 को लछमन के स्थान पर भैरिया का दाखित खारिज मंजूर हुआ है। नामा0 सं0 457 से भैरू चौकीदार के इस्तीफा देने पर धूलीलाल वल्द चतुर्भुज जाट को चौकीदार नियम किया गया। नामा0सं0 528 से धूलीलाल चौकीदार के फोत हो जाने पर भैरू वल्द लछमन चौकीदार मुकर्रर हुआ। नामा0सं0 565 से ख0न0 751/428 की 0.04 बीघा मे से 1 बिस्वा खालसा की गयी। हुकम तहसील 31/54 ता0 19/55 ताहयात भैरू माफी बहाल हुई। बाद मृत्यु खालसा की जायेगी। सेटलमेंट के बाद जमाबंदी सं0 2028–47 खतोनी सं0 76 पर यह आराजी ख0न0 120 की 19.14 बीघा, ख0न0 257 की 6.01 बीघा, ख0न0 610 की 0.02 बीघा कुल 3 किता की 25.17 बीघा भैरू वल्द लछमन कौम नायक सा0देह गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। तथा जमाबंदी सं0 2070–73 में खतेानी सं0 170 पर वादग्रस्त 25.17 बीघा आराजी वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। यहां वादीगण चौकीदार भैरू के पोते है। इस प्रकार चौकीदार भैरू की मृत्यु हो चुकी है तथा सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदियात पर अंकित नोट, जो निरस्त नही हुआ है और आज भी प्रभावी है, के अनुसार चौकीदार भैरू की मृत्यु के बाद यह आराजी खलसा अर्थात सरकारी खाते में दर्ज होना चाहीये। यहां जब वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज होने की मौताज है, तो वादीगण को इस आराजी पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नही है और वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

अतः वाद वादीगण चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 3/01/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमात

(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी– श्री **प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 857 / दावा / 2018

दायरा 28 / 08 / 2018

उनवान

1. छीतरलाल पुत्र कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर
2. धनराज पुत्र कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर
3. रूकमणीबाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर
4. संतोष पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर
5. गायत्रीबाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर
6. बतोलबाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर
7. सीमाबाई पुत्री कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर
8. कैलाशबाई बेवा कालूलाल जाति नायक निवासी डूण्डा तहसील खानपुर

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर
2. जिला कलक्टर महोदय,झालावाड जिला झालावाड

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई **श्री चतुर्भुज चौधरी** एडवोकेट वादी रूबरू **पेरोकार सरकार** एडवोकेट प्रतिवादी जानिब मुद्दालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :–

" वाद, वादीगण चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिकी आज दिनांक 3 / 01 / 2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2020.02.10 12:00:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: